

05218
DISB

05218

DISB

4/2

न्यायालय उपजिलाधिकारी कासगंज (कासगंज)

बाद सं० 145

धारा-143 जेड0ए0

मौजा-कुमरौआ

परगना-पचलाना

रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ।

वनाम गॉव समा।

उक्त बाद रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 17.10.2014 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि भूमि गाटा सं० 1347/1/1.006 है० का भूराजस्व रूपया 24.60 स्थित मौजा कुमरौआ परगना पचलाना तहसील कासगंज का सक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिजे है। भूमि गाटा सं० 1347/1/1.006 है० का भूराजस्व रूपया 24.60 मौजा कुमरौआ परगना पचलाना तहसील कासगंज को अकृषिक घोषित किये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार कासगंज से जांच कराई। उसने अपनी जांच आख्या के निर्धारित प्रारूप 143 (नियम 135) में अंकित किया है कि ग्राम कुमरौआ परगना पचलाना तहसील कासगंज के गाटा सं० 1347/1/1.006 है० में रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ के नाम वर्तमान सक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है जिसका मौके पर नक्शा नंजरी तैयार किया गया जिसमें विद्यालय के भवन का कार्य चल रहा है खेती नहीं हो रही है अकृषिक प्रयोजन के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

नफल आदेश

उपरोक्त तहसीलदार कासगंज की आख्या दिनांक 05.11.2014 प्रार्थना पत्र रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ के आधार पर दिया गया प्रार्थना पत्र रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ में स्थित गाटा संख्या 1347/1/1.006 है० को धारा 143 जेड0वि०अधि० के अन्तर्गत घोषित अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है। बाद आ०का०पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक-11.11.2014

(रामदास)

उपजिलाधिकारी
कासगंज

माने 3824
अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी
मौ फाउण्डेशन ट्रस्ट
नगला महारी प्रो० कुमरौआ (कासगंज)

सत्य प्रमाणित

अमित खपाल

कलकट्टे, काशीराम तारा
कासगंज

हस्ताक्षर मिलान कर्ता

समांक. 5.7.

आवेदन नाम. 25.11.16

शुल्क. 1.00

शब्द: की संख्या: 25

आवेदन पत्र देने की दिनांक 13.11.16

दिनांक 14.11.16

दिनांक 14.11.16

दिनांक 14.11.16

प्लेनर-1432A ACT.

015218
P180

015218

0180

4/3

न्यायालय उपजिलाधिकारी कासगंज (कासगंज)

वाद सं० 45

धारा-143 जेड0ए0

मौजा-कुमरौआ

परगना-पचलाना

रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ।

वनाम गॉव सभा।

उक्त वाद रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 17.10.2014 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि भूमि गाटा सं० 1347/1/1.006 है० का भूराजस्व रूपया 24.60 स्थित मौजा कुमरौआ परगना पचलाना तहसील कासगंज का सक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज है। भूमि गाटा सं० 1347/1/1.006 है० का भूराजस्व रूपया 24.60 मौजा कुमरौआ परगना पचलाना तहसील कासगंज को अकृषिक घोषित किये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार कासगंज से जाँच कराई। उसने अपनी जाँच आख्या के निर्धारित प्रारूप 143 (नियम 135) में अंकित किया है कि ग्राम कुमरौआ परगना पचलाना तहसील कासगंज के गाटा सं० 1347/1/1.006 है० में रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ के नाम वर्तमान सक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है जिसका मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया गया जिसमें विद्यालय के भवन का कार्य चल रहा है खेती नहीं हो रही है अकृषिक प्रयोजन के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

नकल आदेश

उपरोक्त तहसीलदार कासगंज की आख्या दिनांक 05.11.2014 प्रार्थना पत्र रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ के आधार पर दिया गया प्रार्थना पत्र रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ में स्थित ग्राम कुमरौआ में स्थित गाटा संख्या 1347/1/1.006 है० को धारा 143 जेड0ए0 के अन्तर्गत घोषित अकृषित घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है। बाद आ०का०पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक-11.11.2014

(रामदास)

उपजिलाधिकारी
कासगंज

सत्य प्रमाणित

अभिषेकपाल

कलकट्टे, काशीराम तमर
कासगंज

माने-33211
अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी
माँ फाउण्डेशन ट्रस्ट
नगला महारी प्रो० कुमरौआ (कासगंज)

हस्ताक्षर लगायान करता